

कार्यालय जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर

आदेश

दिनांक 09.09.2026 को बार एसोसिएशन सुलतानपुर के पदाधिकारियों/कार्यकारिणी के चुनाव हेतु मतदान हुआ था और दिनांक 10-09-2026 को बार एसोसिएशन सुलतानपुर में मतगणना के दौरान समय 03.30 बजे दिन में अधिवक्तागण की एक भीड़ द्वारा बैलेट बाक्स लूट लिया गया था और इस प्रकार उनके द्वारा सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर दिया गया। उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जाँच किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है।

उक्त जांच के क्रम में दीवानी न्यायालय परिसर में उपर्युक्त घटना के समय उपस्थित आम जनमानस/वादकारी का भी साक्ष्य महत्वपूर्ण हो सकता है, जिन्हें साक्ष्य हेतु आहूत किया जाना आवश्यक है। अतः जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न सूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अविलम्ब प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें:-

सार्वजनिक सूचना

दिनांक 10-09-2026 को बार एसोसिएशन सुलतानपुर के संघ भवन में मतगणना के दौरान करीब साढ़े तीन बजे दिन में अधिवक्तागण की एक भीड़ द्वारा चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया गया था। तत्समय उपस्थित किसी भी व्यक्ति के पास यदि घटना के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध हो तो वह जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर के विश्राम कक्ष में दिनांक 01.10.2026 से 10.10.2026 तक सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक, दोपहर 01.30 बजे से 02.00 बजे तक तथा सायं 04.30 बजे के बाद से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है।

सिस्टम आफिसर जनपद न्यायालय सुलतानपुर को भी यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना वे जनपद न्यायालय सुलतानपुर की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित हो।

Sd/-

जनपद न्यायाधीश
सुलतानपुर